जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 10.05.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता अनिरुद्ध पुत्र नाथूराम यादव निवासी अहिरौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अभय कुमार पाण्डेय, हे0का0 जय कन्नौजिया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल - पीआरवी 5998 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत चन्द्रौटी से कालर द्वारा दो बाईकों के आमने-सामने से आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (1.पिन्टू पुत्र बोधनराम ग्राम एकमा थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती 2.शेषनाथ पुत्र राधेश्याम जनपद बस्ती) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आरक्षी पंकज यादव, हो0चा0 रामवीर चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 198 वाहनों से 2,20,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 198 वाहनों से 2,20,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।